स्पीड पोस्ट/ई-मेल

पत्र संख्या: 20/क्षे०स्था०-08 (स्थानांतरण)-06/2016-सा० प्र०-5762,

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 16 जून, 2020

विषय:- समाहरणालय संवर्ग के अराजपत्रित कर्मियों के स्थानांतरण /पदस्थापन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वर्तमान में जारी प्रक्रियानुसार राज्य के समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों (लिपिक/आशुलिपिक/चालक/परिचारी) द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण हेतु अधिकतर आवेदन (जो संदर्भित स्थानांतरण हेतु वर्तमान में लागू विविध नियमावलियो के तहत विचारणीय होते हैं) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सीधे उपलब्ध कराये जाते हैं। फलस्वरूप, विभाग को संबद्ध दोनों जिला पदाधिकारियों (एक, जिस संवर्ग में संबंधित कर्मी सेवारत/पदस्थापित रहते हैं एवं दूसरा, जिस जिला संवर्ग में स्थानांतरण हेतु उक्त कर्मी द्वारा आवेदन समर्पित किया जाता है) से उनके सेवा इतिहास, आंतरिक स्वच्छता, आरक्षण कोटिवार रिक्ति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र से संबंधित अभिलेख आदि प्राप्त करने पड़ते हैं। फलस्वरूप, अभिलेखों के समेकन में अत्यधिक समय लगता है और अनेक मामले लंबी अवधि तक अनिस्तारित रह जाते हैं, जिससे विषयाधीन उद्देश्य की पूर्ति समय पर नहीं हो पाती है।

2. विषयगत अंतर जिला स्थानांतरण में लगने वाले समय को न्यून कर प्रश्नगत मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु यह निर्णय लिया गया है कि समाहरणालय संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदनों पर तभी विचार किया जायेगा, जब उनके आवेदन संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त होंगे और आलोच्य कर्मियों से सीधे प्राप्त हुए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3. प्रश्नगत विषय पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

16.6.2020

सरकार के अवर सचिव ।

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

ज्ञापांक: 20/क्षे०स्था०-08 (स्थानांतरण)-06/2016-सा० प्र०-5762/पटना-15, दिनांक: 16 जून, 2020

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सभी जिला पदाधिकारी, बिहार के ई-मेल आई०डी० पर भेजने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16.6.20

सरकार के अवर सचिव ।

1/1 | D:\Arvind Jee\Letter